

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2073/2013/उदयपुर.

मैसर्स 3 एम पेन्ट एण्ड केमिकल्स,  
खेमपुरा, प्रतापनगर, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-द्वितीय, वृत्त-‘सी’, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री संजय धाकड़, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/01/2015

निर्णय


1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा गया है) के अपील संख्या 156/वेट/12-13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.08.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, वृत्त-‘सी’, उदयपुर (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.10.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.02.2012 को अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 का नियमित कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 07.06.2012 को किये गये सर्वेक्षण के दौरान अपीलार्थी द्वारा बैंक में प्रस्तुत किये गये स्टेटमेंट अनुसार रूपये 43,962/- का माल लेखा-पुस्तकों में अंकित माल से कम पाया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 25 व 61 के तहत आदेश दिनांक 26.10.2012 पारित करते हुए कम पाये गये माल पर 14 प्रतिशत की दर से कर रूपये 6117/-, ब्याज रूपये 2202/- एवं शास्ति रूपये 12,234/- कुल रूपये 20,553/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2013 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।



लगातार.....2


3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बैंक में सी.सी. लिमिट बढ़वाने हेतु अनुमान के आधार पर स्टेटमेंट प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग सृजित किया जाना पूर्णतया अविधिक है। बैंक को मासिक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना था, जो कि माल के भौतिक स्टॉक से दिया जाना असम्भव है, अतः अनुमानित स्टॉक दिया गया था। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर आदेश पारित करते हुए मांग सृजित कर दी गयी। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए कर निर्धारण आदेश की पुष्टि कर दी गयी। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि का नियमित कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 23 वेट अधिनियम दिनांक 24.02.2012 को पारित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में करापवंचन की कोई सम्भावना ही नहीं थी। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड का न्यायिक दृष्टान्त 38 टैक्स अपडेट 299 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम मैसर्स दिनेश टोबेको इण्डस्ट्रीज जोधपुर प्रस्तुत करते हुए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा बैंक के समक्ष प्रस्तुत किये गये स्टेटमेंट अनुसार मौके पर माल कम पाये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था एवं अपीलीय अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।
7. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि का नियमित कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 23 दिनांक 24.02.2012 को पारित किया जा चुका था। इसके पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण में अपीलार्थी द्वारा बैंक में सी.सी. लिमिट बढ़ाने हेतु प्रस्तुत किये गये स्टेटमेंट के



अनुसार मौके पर रूपये 43,962/- का माल कम पाया गया। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में ऐसा कोई तथ्यात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि कौनसा माल कम पाया गया, अथवा अपीलार्थी द्वारा करापवंचन की मंशा से माल का विक्रय किया गया हो। केवल मात्र बैंक में प्रस्तुत स्टेटमेंट के आधार पर आदेश दिनांक 26.10.2012 पारित करते हुए मांग सृजित की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान कर बोर्ड का निरन्तर मत रहा है कि किसी अन्य विभाग की जांच अथवा रिपोर्ट के आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए मांग सृजित किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में तो किसी अन्य विभाग की जांच किया जाना भी नहीं पाया जाता है। केवल अपीलार्थी द्वारा बैंक में अपनी सी.सी. लिमिट बढ़ाने हेतु बैंक में प्रस्तुत किये गये स्टेटमेंट के आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी जांच से यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि मौके पर भौतिक रूप से माल कम पाया गया हो। इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 38 टैक्स अपडेट 299 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम मैसर्स दिनेश टोबेको इण्डस्ट्रीज जोधपुर में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है कि किसी अन्य विभाग की जांच/रिपोर्ट के आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए मांग सृजित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण पर विचार किये बिना कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

8. परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय आदेश दिनांक 05.08.2013 एवं कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.10.2012 अपास्त किये जाते हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

  
19.01.2015  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य